न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– 67/2016

प्रिति कुमारी बनाम राज्य

–:: आदेश ::–

16.3.17

प्रस्तुत वाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,. सहरसा के न्यायालय में दायर वाद संख्या– 21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक– 03.01.2015 के विरूद्ध श्रीमती प्रिति कुमारी के द्वारा उप निदेशक, कल्याण, आई0सी0डी0एस0, सहरसा के न्यायालय में 286/2015 दाखिल किया गया जो समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या– 3226 दिनांक– 11.08.2015 के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में हस्तान्तरित किया गया हैं।

अपीलार्थी का कहना है कि महिषी परियोजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत, तेलहर के आंगनवाड़ी केन्द्र, तेलबधा मुशहरी आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या– 195 वार्ड संख्या– 14, थाना– महिषी, जिला– सहरसा के सेविका चयन हेतु मार्गदर्शिका के कण्डिका– 6{1} के तहत पोषक क्षेत्र केन्द्र संख्या– 195 के न्यूनतम मैट्रिक योग्यताधारी महिला अभ्यर्थी उम्मीदवारों के लिए विज्ञापन द्वारा आमंत्रित किया गया। आवेदन प्राप्त कर दिनांक– 05.06.2013 को आंगनवाड़ी सेविका/ सहायिका की चयन हेतु तेलबधा भरना पर वार्ड नं0–14 के वार्ड सदस्य जवाहर सादा एवं प्रतिनियुक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर में आम सभा बुलायी गयी। वार्ड नं0–14 ब्राहमण बाहुल्य क्षेत्र है, जिसकी गणना वार्ड नं0–14 के मतदाता सूची से की जा सकती है। मतदाता सूची वार्ड नं0–14 में ब्राहमण मतदाता की संख्या अन्य सभी जातियों से अधिक है, परन्तु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी मनमानी तरीके से मेल व प्रभाव में आकर इस पोषक क्षेत्र में निषादों की संख्या अधिक बताकर निषाद जाति के उम्मीदवार श्रीमति रजिया कुमारी उर्फ रजिया देवी का सेविका के रूप में चयन कर लिया गया, जिसे मेधा सूची में काफी अंक है। जबकि अपीलार्थी की योग्यता अन्तर स्नातक है एवं मेधा सूची में सबसे अधिक अंक हैं। अपीलार्थी ने आगे कहा कि चयनित उम्मीदवार एवं उनके पति का वार्ड नं0–14 के मतदाता सूची में नाम भी दर्ज नहीं हैं, जिसके विरूद्ध समाज कल्याण मंत्री, बिहार सरकार एवं आयुक्त, कोशी प्रमण्डल सहरसा तथा जिला पदाधिकारी, सहरसा को अभ्यावेदन दी थी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी ने दिनांक– 10.08.2013 पत्र के माध्यम से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के यहॉ अपील करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस आलोक में 05.09.2013 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या– 21/2013–14 दाखिल किया गया। दिनांक– 23.01.2013 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी से अभिलेख अप्राप्त। फिर अपने आदेश संबंधित ग्राम सभा पंजी एवं मेधा सूची की अभिप्रमाणित प्रति समर्पित किया गया, जो हस्यास्पद है। मूल अभिलेख जॉच हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा के यहॉ लम्बित है, और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा यह भी उचित नहीं समझा गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी ने क्या जॉच किया या मूल अभिलेख देखना उचित है या नहीं। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने एक वर्ष के अन्दर सुनवाई कर आनन–फानन में बिना जुडिशियल ब्रेन लगाये हीं अंतिम आदेश दिनांक– 03.01.2015 को पारित कर विवादास्पद चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण हेतु पत्र निर्गत कर दिये।

अपीलार्थी ने अपने वाद के माध्यम से विवादी आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित अपीलार्थी के चयन हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी को निर्देश देने का अनुरोध किये हैं।

प्रतिपक्षी रजिया कुमारी का कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या– 21/2013–14 में 14 दिन के अन्दर आदेश पारित नहीं किया गया। इस संबंध में विपक्षी का कहना हे कि इसमें न तो विपक्षी का कोई दोष नहीं है, न हीं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा कोई शिथिलता बरती गई, बल्कि अपीलार्थी हीं न्यायालय में बहस के लिए उपस्थित नहीं हुए तथा उन्होंने सिर्फ अधिवक्ता के माध्यम से हाजरी दी, जिस कारण बहस नहीं हो सका। आगे विपक्षी का कहना है कि बिना मूल अभिलेख के आदेश पारित किया गया इस संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, महिषी द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र का सेविका सहायिका से चयन संबंधी ग्राम सभा पंजी एवं मेधा सूची की छाया अभिप्रमाणित प्रति समर्पित किया गया है। इस तरह अपीलार्थी का यह कहना कि अभिलेख नहीं आया है, सरासर असत्य हैं। अपीलार्थी के आधार 3 में लिखा गया है कि मूल अभिलेख का जॉच अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में लंबित है। इस संबंध में विपक्षी का कहना हे कि अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा ने कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया था, जिससे

16.3.17

कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा आदेश पारित नहीं किया जा सके। निम्न न्यायालय ने आदेश एवं चयन समिति के निर्णय से स्पष्ट होता है कि दिनांक– 05.06.2013 को आम सभा का आयोजन किया गया। मैपिंग पंजी में आम सभा में परिवारों की संख्या देखा गया, जिसमें अनुसूचित जाति परिवार बाहुल्य है। अनुसूचित जाति के एक मात्र आवेदिका मनीषा कुमारी दुसरे वार्ड के है। इसलिए इसके चयन पर विचार नहीं किया। मार्गदर्शिका के अनुसार वर्ग बाहुल्य से आवेदिका नहीं रहने के कारण अत्यन्त पिछड़ा वर्ग से मेधा प्राप्तांक दुसरे नं0 की आवेदिका वन्दना कुमारी थी, जो दुसरे वार्ड की है। इसी तरह पिछड़ी जाति की तीसरी आवेदिका भी दुसरे वार्ड की थी। अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की विपक्षी रजिया कुमारी चौथे स्थान पर थी, उसके सभी मूल प्रमाण पत्रों की जॉच आम सभा द्वारा किया गया तथा उनके सभी प्रमाण पत्रों के जॉचोपरान्त उसका चयन किया गया। अतः विपक्षी का चयन सही ढंग से नियमानुसार किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा चयन समिति पर जो भी आरोप लगाया गया है, वह सरासर असत्य हैं।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० को निदेश दिया जाता है, पुनः उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर सुनकर तथा तथ्यों का अवलोकन कर शीघ्र आदेश पारित करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

16.3.17

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

16-3-17

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 454-2 / विधि, सहरसा, दिनांक– 16-3-17.

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी अपीलाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
16/3/17